न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 66 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सेहनसिंह पुत्र भोपसिंह जाति राजपूत उम्र 76 वर्ष निवासी देवलियाली तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.मृतक लच्छीया पुत्र जेठा रबारी का उत्तराधिकारी पांचाराम गोदपुत्र लच्छाराम जाति रबारी निवासी देवलियाली तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
2.गणपतराम पुत्र दुर्गाराम
3.जोधाराम पुत्र ओकाराम
4.भीमाराम पुत्र जोधाराम जातियान चौधरी निवासी सेवाली तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
5.हल्का पटवारी पटवार हल्का सिलोर
6.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2019 बअनवान सोहनसिंह बनाम लच्छीया वगै. में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुखदेव पटेल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.11.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक वाद बाबत अधिकार घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत कर कथन किया कि, मौजा देवलियाली पटवार हल्का सिलोर में खेत खसरा संख्या 65 रकबा 38.10 बीघा आयी हुई हैं, जिस पर वक्त सेटलमेंट से वादी के पिता भोपसिंह का कब्जा काश्त था, भोपसिंह के ही खातेदारी की दर्ज थी, भोपसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का काई अन्तरण किसी भी प्रकार से लच्छीया पुत्र जेठा या अन्य किसी के पक्ष में नहीं किया और न ही भोपसिंह के विरूद्ध किसी न्यायालय का कोई आदेश/निर्णय ही भोपसिंह का नाम रेकर्ड से हटाने बाबत पारित हुआ, सेटलमेंट की खतौनी, पर्चा लगान संवत 2011 से 2014 तक उक्त भूमि एकल खातेदारी में भोपसिंह के नाम दर्ज रही, मौके पर वक्त सेटलमेंट से निरन्तर आज रोज भी वादीगण का रहवासी घर भी बना हुआ हैं, एवं विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है, मौके पर फसल बोयी हुई है विगत दिनांक 01.10.2011 को वादी अपीलांट खेत पर बैठा था, उस वक्त रेस्पोडेंट गणपतराम वादग्रस्त भूमि पर आया और कहा कि यह भूमि मैंने लच्छीया पुत्र जेठा रबारी से खरीद कर ली हैं, और रेकर्ड में नाम दर्ज करवा दिया

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। जमाबंदी खतौनी में बिना किसी उचित आधार के ही, वादी के पिता के नाम की प्रविष्टिया चलते ही लच्छीया पुत्र जेठा रबारी का नाम जमाबंदी में हल्का पटवारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना किसी म्यूटेशन के अनाधिकृत रूप से दर्ज कर दिया, जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 10/2012 पेश किया, साथ ही अपीलांट वादी को मिली विधिक सलाह के अनुसार म्यूटेशन अपील संख्या 5/12 उक्त आराजी के संबंध में पेश की, अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जो म्युटेशन अपील संख्या 5/12 पेश की उक्त अपील को दिनांक 02.11.2012 को स्वीकार कर म्युटेशन संख्या 146 को अपास्त कर दिया, बाद उक्त भूमि खसरा संख्या 65 अपीलांट वादी के नाम दर्ज हो गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद संख्या 10/2012 को अपने विधिक हकों को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 06.05.2013 को विड्रो कर लिया। एस.डी.ओ. सिवाना द्वारा म्यूटेशन अपील में जो निर्णय पारित किया, उक्त निर्णय को अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 31.08.2016 को निरस्त कर दिया, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधुपर द्वारा पारित अपील निर्णय के विरूद्ध निगरानी संख्या 6311/2016 राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, जो दिनांक 16.11.2018 को खारिज कर दी गयी, जिसमें यह संप्रेक्षण किया कि, वास्तविक अधिकार तो नियमित वाद में ही तय किये जा सकते हैं ताबाद अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में नियमित वाद संख्या 12/2019 वादी सोहनसिंह बनाम लच्छीया दिनांक 08.03.2021 को पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के आवेदन पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के आधार पर यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति बाबत अवलोकन किया, जिसमें उक्त भूमि पर वर्तमान में जोधा पुत्र ओकाराम, भोपाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज है, वादी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह संप्रेषण करना कि वादी राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति अनुसार खातेदार नहीं हैं, ऐसा संप्रेषण कानूनी अनभिज्ञता जाहिर करता हैं, क्योंकि जो व्यक्ति रेकर्ड में खातेदार टीनेन्ट हो उसे घोषणा का वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, उक्त बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना अकांकी मत देकर वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट गणपतराम ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलावट कर म्यूटेशन लछिया के नाम भरवाया गया है तथा उसके बाद कूटरचित व मनगड़ंत कर अपने नाम रजिस्टर्ड बेचाननामा करवाया है जो झुठा है। अपीलांट वादी को मिली विधिक सलाह के अनुसार म्यूटेशन अपील संख्या 5/12 उक्त आराजी के संबंध में पेश की, अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जो म्यूटेशन अपील संख्या 5/12 पेश की उक्त अपील को दिनांक 02.11.2012 को स्वीकार कर म्यटेशन संख्या 146 को अपास्त कर दिया, बाद उक्त भूमि खसरा संख्या 65 अपीलांट वादी के नाम दर्ज हो गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद संख्या 10/2012 को अपने विधिक हकों को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 06.05.2013 को विड्रो कर लिया। एस.डी.ओ. सिवाना द्वारा म्यूटेशन अपील में जो निर्णय पारित किया, उक्त निर्णय को अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 31.08.2016 को निरस्त कर दिया, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधुपर द्वारा पारित अपील निर्णय के विरूद्ध निगरानी संख्या 6311/2016 राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, जो दिनांक 16.11.2018 को खारिज कर दी गयी, जिसमें यह संप्रेक्षण किया कि, वास्तविक अधिकार तो नियमित वाद में ही तय किये जा सकते हैं ताबाद अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में नियमित वाद संख्या 12/2019 वादी सोहनसिंह बनाम लच्छीया दिनांक 08.03.2021 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा दावे में जबावदावा तो पेश किया लेकिन प्रतिवादी का कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं है। अपीलांट/वादी सिविल न्यायालय में सेल डीड केन्सल करवाने इसलिये नहीं गया कि वादी का उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अमल दरामद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया जाकर केवल वाद को तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खरिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय वाद के विचारण हेतु नियत प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष की बहस सुनने एवं बाद सुनवाई उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद कानूनी बिन्दुओं के

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विपरित जाकर रेसज्युडिकेटा सिद्धांतोंसे बाधित है। वक्त सेटलमेंट के समय ग्राम देवलीयाली पटवार हल्का सिलोर के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 38.10 बीघा लछिया पुत्र जेठा के नाम दर्ज था जिसका वर्णन जमाबंदी संवत 2015–2018 में इन्द्राज है। जमाबंदी संवत 2015 का अवलोकन करने से वादी के पिता का कृषक के तौर पर जमाबंदी में नाम दर्ज है। खसरा संख्या 65 पर वादी भोपसिंह का कब्जा व काश्त नहीं था उस समय की गिरदावरी से स्पष्ट सिद्ध होता है। वास्तविक काश्त के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदारी दी गई जिसमें कोई त्रुटि नहीं है उक्त खातेदारी के आधार पर म्यूटेशन संख्या 28 लिछया के नाम दर्ज किया गया। लछिया का देहान्त दिनांक 17.06.1994 को हो गया था जो झूठा है राज. सरकार के राशन कार्ड परिचय पत्र इन्द्राज रजिस्र्ड के क्रम संख्या 110 में दिनांक 09.06.1996 को लछिया जीवित था जिसका इन्द्राज दर्ज है। लछिया द्वारा बेचाननामा दिनांक 15.03.1996 के तहत उप पंजीयक कार्यालय सिवाना बाड़मेर में रजिस्टर्ड है बेचाननामे के आधार पर दिनांक 15.05.1996 द्वारा म्यूटेशन गणपतराम प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दिया गया, इसके बाद गणपतराम खातेदार होने के नाते उक्त भूमि जोधाराम पुत्र ओकाराम व भोमाराम पुत्र जोधाराम को बेचान व हस्तांतरित कर दी गई, तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर जोधाराम व भोमाराम दोनों का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी का जरिये सेल डीड खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है तथा रजिस्टर्ड सेल डीड तत्कालीन रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा निष्पादित की गई है उक्त बेचाननामे को वादी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई एवं बेचाननामे के प्रभावी रहते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री प्राप्त नहीं कर सकते। वादी/अपीलांट द्वारा मुकदमों में हारने के बाद हस्तगत वाद रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया गया। वादी द्वारा अपीलाधीन आराजी को लेकर एक वाद संख्या 10/12 पेश किया गया था, जिसको जरिये विड्रोल खारीज किया गया। अपीलांट/वादी ने हस्तगत वाद पेश करते समय आदेश 23 नियम 01 उपनियम 03 के तहत न्यायालय से न तो अनुमति ली है और न ही उक्त वाद को नये आधारों व तथ्यों पर पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

MPLJ 2017(3) Page 303
RRT 2017(1) Page 178
RRT 2008(1) Page 237

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली पर बहस सुनने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय उत्तरदातागण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का आवेदन को स्वीकार करते हुए मूल दावा को उसी स्टेज पर बिना दस्तावेजात पर गौर किये खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को "वर्तमान स्थिति बाबत अवलोकन किया जिसमें उक्त भूमि पर वर्तमान में जोधाराम पुत्र ओकाराम व भोपाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज है वादी रिकार्डेड खातेदार नहीं है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार" पर बिना कोई साक्ष्य लिए खारिज किया गया। जबकि जो व्यक्ति रेकर्ड में खातेदार टीनेन्ट हो तो उसे घोषणा का वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट गणपतराम ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलावट कर म्यूटेशन लछिया के नाम भरवाया गया है तथा उसके बाद कूटरचित व मनगड़ंत कर अपने नाम रजिस्टर्ड बेचाननामा करवाया है जो झुठा है। इस तरह के प्रकरण में विवाद्यक बिंदु का कायम कर साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित करना युक्तियुक्त एवं विधि सम्मत है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विवाद के बिंदु के निस्तारण बाबत किसी प्रकार की कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। अपीलांट/वादी द्वारा म्यूटेशन अपील संख्या 5/12 पेश की उक्त अपील को दिनांक 02.11.2012 को स्वीकार कर म्यटेशन संख्या 146 को अपास्त कर दिया, बाद उक्त भूमि खसरा संख्या 65 अपीलांट वादी के नाम दर्ज हो गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद संख्या 10/2012 को अपने विधिक हकों को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 06.05.2013 को विड्रो कर लिया इस तथ्य का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट का शपथ–पत्र जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध है के पैरा संख्या 04 में अंकित किया गया। एस.डी.ओ. सिवाना द्वारा म्यूटेशन अपील में जो निर्णय पारित किया, उक्त निर्णय को अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 31.08.2016 को निरस्त कर दिया, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधुपर द्वारा पारित अपील निर्णय के विरूद्ध निगरानी संख्या 6311/2016 राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, जो दिनांक 16.11.2018 को खारिज कर दी गई तथा उसमें अंकित किया गया कि "नामांतकरण की कार्यवाही केवल वित्तीय प्रयोजनार्थ अमल में लायी जाती है। इस प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही से न तो किसी व्यक्ति के पक्ष में हितों का सृजन होता है और ना ही किसी व्यक्ति के हितों पर सारतः एवं प्रतिकूलत कोई प्रभाव पडता है। चूंकि यह कार्यवाही न्यायिक नहीं होती है तथा Summary रूप से अमल में लायी जाती है। इसलिए भी विद्वान

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वितीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का कोई आधार व औचित्य नहीं है वास्तिवक अधिकार तो नियमित वाद में ही तय हो सकते है।" इसलिए अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में नियमित वाद संख्या 12/2019 वादी सोहनसिंह बनाम लच्छीया दिनांक 08.03.2021 को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन, तथ्यों एवं दस्तावेजात के आलोक में तथा अपील पर उपलब्ध अभिलेख से प्रकट इन सब निष्कर्षों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2019 बअनवान सोहनसिंह बनाम लच्छीया वगै. में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय के आदेश की अक्षरस पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार खिड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर